पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह-/ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना/11-12/ 19/11/2006 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ दिनांक // 07 // अप्रैल,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- दिनांक 31-03-2010 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम/ उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मॉग की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा होने पर देय ब्याज/ अर्थदण्ड माफी योजना लागू किया जाना ।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-क0नि0-390/ग्यारह-2-2011-9(21)/2003 दिनांक 30-03-2011 एवं इसके प्रचार-प्रसार हेतु प्रस्तावित विज्ञापन की एक-एक छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आप उक्त शासनादेश के सफल क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन देते हुए एवं निर्देशित करने के साथ ही अपने स्तर से जनसामान्य एवं व्यापारी वर्ग तथा व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों को शासनादेश सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें ।

योजना के अनुरुप करदाताओं को लाभ यथासमय मिल सके, उसके लिए आवश्यक है कि अभिलेखों का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये । प्रत्येक मामले में इस शासनादेश के अनुसार ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी के आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्षवार पारित किया जाना है । अत: ब्याज/ अर्थदण्ड माफी के मामलों का निस्तारण यथासमय किया जाना सुनिश्चित करें ।

पुन: आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि इस योजना का प्रत्येक माह अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए जमा धनराशि व माफ किये ब्याज व अर्थदण्ड की सूचना संलग्न प्रारुप में प्रत्येक माह की 5 तरीख तक मुख्यालय के संग्रह अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे प्रत्येक माह की प्रगति से शासन को अवगत कराया जा सके ।

कृपया उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रतियॉ कराकर अपने जोन के जिलाधिकारियों, अधिवक्ता संघों एवं व्यापार मण्डल/ सलाहकार समिति के सदस्यों को तत्काल उपलब्ध कराते हुए मुख्य स्थानों जैसे आयकर विभाग, मण्डी परिषद, रेलवे, कलेक्टर कार्यालयों के सामने योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सूचना बोर्डो पर चस्पा करायें एवं सूचना पत्रों के माध्यम से जनसामान्य को अवगत कराने की कार्यवाही भी करें जिससे अधिक-से-अधिक राजस्व की प्राप्ति संभव हो सके ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

6/4/11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर, लखनऊ ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
(21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से ।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुॅजगली,चौक,वाराणसी ।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(53) श्री हुलास राय सिँघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।
(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ ।
(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीजं एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष,उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट,खोया मण्डी इलाहाबाद ।
(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ.
(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसो0, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ

6.4.11

(जी0पी0वर्मा)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

प्रारुप

(ऑकड़ लाख रुपये में)

वसूली / जमा की धनराशि					
प्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण आदेश से सृजित मॉग की अवशेष बकाया धनराशि	योजना की अवधि में अथवा उसके पूर्व जमा मूल बकाया की धनराशि	ब्याज की माफ की जाने वाली धनराशि	ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि	अर्थदण्ड की माफ की जाने वाली धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6

संख्या-क0नि0-390/ग्यारह-2-2011-9(21)/2003

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक :: 30 मार्च,2011**

विषय:- दिनांक 31-03-2010 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम/ उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मॉग की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा होने पर देय ब्याज/ अर्थदण्ड माफी योजना लागू किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह-अर्थदण्ड / ब्याज माफी-पार्ट-2/ 10-11/927 / वाणिज्य कर दिनांक 04-02-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन ब्याज / अर्थदण्ड माफी योजना, 2011 लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1. दिनांक 31.03.2010 तक सृजित मॉग/बकाया के अवशेष मामलों में बकाया कर की मूल धनराशि में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000/उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत बकाया सम्मिलित मानी जायेगी। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत सृजित बकाया इस योजना में शामिल नही की जायेगी।
2. यह योजना दिनांक 01.05.2011 से दिनांक 31.07.2011 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।
3. योजना सम्बन्धित शासनादेश जारी होने के दिनांक से दिनांक 30.04.2011 तक की अवधि प्रचार–प्रसार के लिए रखी जायेगी, ताकि योजना लोकप्रिय हो सके और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति हो सके।
4. दिनांक 31.03.2010 तक प्रत्येक वर्ष की सृजित मॉग की धनराशि दिनांक 01.05. 2011 से दिनांक 31.07.2011 तक की अवधि में अथवा उक्त अवधि के पूर्व जमा होने की स्थिति में देय ब्याज की 10 प्रतिशत जमा किए जाने पर 90 प्रतिशत धनराशि तथा बकाया धनराशि जमा न होने के कारण आरोपित अर्थदण्ड की राशि माफ कर दी जाये। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी व्यापारी के विरूद्ध किसी कर निर्धारण वर्ष में व्यापार कर, केन्द्रीय बिक्रीकर एवं प्रवेश कर के रूप में क्रमशः ₹क, ₹ख, एवं ₹ग की मॉग निकाली गई है एवं निकली गई सम्पूर्ण मॉग ₹ (क+ख+ग) योजना के पूर्व अथवा योजना अवधि में जमा कर दी जाती है तो उस

कर निर्धारण वर्ष के लिए विलम्ब से कर जमा करने के कारण कुल अवशेष देय ब्याज का 10 प्रतिशत जमा करने पर 90 प्रतिशत ब्याज तथा कर न जमा करने के सम्बन्ध में लगाये गये अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि माफ कर दी जायेगी। यही स्थिति प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए होगी।

5. प्रत्येक मामले में योजना के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार ब्याज तथा अर्थदण्ड की धनराशि की माफी का आदेश कर निर्धारक अधिकारी द्वारा योजना के अनुसार कर एवं ब्याज जमा करने पर वर्षवार पारित किया जायेगा।
6. योजना में केवल अर्थदण्ड की वही धनराशि माफ की जायेगी जो सृजित मॉग की धनराशि जमा न करने या समय से न जमा करने के कारण आरोपित किया गया हो। अन्य कारणों से आरोपित अर्थदण्ड इस योजना के अन्तर्गत माफी योग्य नही होगा। उदाहरणार्थ फार्म सी का दुरूपयोग करने पर आरोपित अर्थदण्ड माफी योग्य नही होगा।
7. प्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण आदेश से सृजित मॉग की बकाया धनराशि में अपील/द्वितीय अपील से निश्चित की गई मॉग भी सम्मिलित होगी, लेकिन यदि योजना अवधि में प्रथम/द्वितीय अपील का निर्णय नही होता है तो लाभार्थी को मूल बकाया तथा उस पर देय ब्याज का 10 प्रतिशत योजना अवधि में जमा करना होगा, तभी योजना का लाभ देय होगा।
8. दिनांक 31.03.2010 तक सृजित मॉग की बकाया जमा करने में यदि उसमें स्वीकृत कर सम्मिलित है तो उस पर देय ब्याज उपरोक्तानुसार माफी योग्य होगा।
9. अस्थायी कर निर्धारण आदेश द्वारा सृजित मॉग अथवा नक्शे के साथ स्वीकृत कर जिसका अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 तक नही हुआ है, के सम्बन्ध में योजना का लाभ देय न होगा।
10. बकाया जमा करने पर व्यापारी को जमा का प्रमाण–पत्र और समाधान लाभ के अतिरिक्त समस्त बकाया जमा करने पर व्यापारी को नो–डियूज प्रमाण–पत्र भी इस शर्त के साथ जारी किया जायेगा कि यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि व्यापारी द्वारा अपने सम्बन्धित वर्ष के टर्न ओवर के कुछ तथ्य छुपाए गए हैं अथवा किसी अन्य कारण से सरकार को मिलने वाले राजस्व की क्षति हुई है तो विद्यमान प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।
11. योजना लागू होने के पूर्व जमा ब्याज/अर्थदण्ड इस योजना के अन्तर्गत वापसी योग्य नही होगा।
12. योजना की अवधि अधिकतम तीन माह तक के लिए मा0 वाणिज्य कर मंत्री, उ0प्र0सरकार के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा योजना में प्राप्त धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरान्त अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

(दुर्गा शंकर मिश्र)

प्रमुख सचिव।